

**शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल (म.प्र.)**

क्रमांक <sup>127</sup> /स्था. /विज्ञाप /2018

दिनांक - 16/02/2018

// विज्ञापित //

मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ 2-53/2017/1/55 दिनांक 12/01/2018 द्वारा मध्यप्रदेश स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय शैक्षणिक आदर्श सेवा नियम 2018 के अन्तर्गत स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल के अधीन निम्नलिखित विभागों में रिक्त पदों की पूर्ति की जाना है। इस हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं :-

**प्राध्यापक/सह प्राध्यापक /सहायक प्राध्यापक/प्रदर्शक-ट्यूटर**

क्र.	विसय	प्राध्यापक				सह प्राध्यापक				सहायक प्राध्यापक				प्रदर्शक/ट्यूटर			
		UR	SC	ST	OBC	UR	SC	ST	OBC	UR	SC	ST	OBC	UR	SC	ST	OBC
1	एनाटामी	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	2	1	1	0
2	फिजियोलॉजी	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	2	1	1	0
3	बायोकेमेस्ट्री	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	2	0	1	0
4	पैथालॉजी	1	0	0	0	1	0	1	0	2	0	1	0	2+1F	1	1	0
5	माइक्रोबायोलॉजी	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	2	0	1	0
6	फॉरेन्सिक मेडिसिन	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	2	1	1	0
7	फार्माकोलॉजी	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	2	0	1	0
8	कम्युनिटी मेडिसिन	1	0	0	0	2	0	1	0	2+1F	1	1	0	1+1*	1	1	0
9	जनरल मेडिसिन	1	0	0	0	2	0	1	0	2+1F	1	1	1	--	--	--	--
10	डर्मटोलॉजी	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	--	--	--	--
11	डेंटिस्ट्री	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	--	--	--	--
12	टी.बी. एण्ड चैस्ट	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	--	--	--	--
13	मनोरोग	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	--	--	--	--
14	एनेस्थेसिया	1	0	0	0	1	0	1	0	2+1F	1	1	0	--	--	--	--
15	आपथलॉजी	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	--	--	--	--
16	ई.एन.टी.	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	--	--	--	--
17	स्त्री एवं प्रसूति रोग	1	0	0	0	1	0	0	0	2	0	1	0	--	--	--	--
18	आर्थोपेडिक्स	1	0	0	0	1	0	0	0	2	1	1	0	--	--	--	--
19	पीडियाट्रिक्स	1	0	0	0	1	0	0	0	2	0	1	0	--	--	--	--
20	रेडियोलॉजी	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	--	--	--	--
21	जनरल सर्जरी	1	0	0	0	2	0	1	0	2+1F	1	1	1	--	--	--	--

उपरोक्त चिन्हित पदों में SC = अनुसूचित जाति, ST = अनुसूचित जनजाति, OBC = अन्य पिछड़ा वर्ग F से चिन्हित पद महिला उम्मीदवार हेतु आरक्षित है। \* यह पद स्टेडिस्टिस्थियन-कम-ट्यूटर के लिए है।

-पदों की संख्या अधिक/कम की जा सकती है।

वेतनमान	-	नियमित नियुक्ति हेतु
प्राध्यापक	-	37400-67000+ ग्रेड-पे 10000 +डी0ए0
सह प्राध्यापक	-	37400-67000+ ग्रेड-पे 9000+डी0ए0
सहायक प्राध्यापक	-	15600-39100 + ग्रेड-पे 7000+डी0ए0
प्रदर्शक/ट्यूटर	-	15600-39100+ ग्रेड-पे 6000+डी0ए0

टीप – समस्त पदों के लिये राज्य शासन द्वारा समय समय पर स्वीकृत वेतनमान/निश्चित मानदेय एवं अन्य भत्ते आदि देय होंगे।

1. आयु सीमा –	न्यूनतम	अधिकतम
प्राध्यापक	– 35 वर्ष	62 वर्ष
सह प्राध्यापक	– 30 वर्ष	62 वर्ष
सहायक प्राध्यापक	– 25 वर्ष	50 वर्ष
प्रदर्शक/ट्यूटर	– 22 वर्ष	50 वर्ष

टीप – आयु की गणना विज्ञापन जारी होने वाली तिथि के पश्चात आने वाली 01 जनवरी के दिनांक को आधार मानकर गणना में ली जावेगी।

2. पदों पर आरक्षण राज्य शासन के द्वारा समय समय पर जारी आदेशों के अनुसार होगा।
  - जाति प्रमाण पत्र : आरक्षण का लाभ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही दिया जायेगा।
3. अर्हताये :-
  - भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्/भारतीय दन्त परिषद् द्वारा शैक्षणिक पद विशेष के लिए निर्धारित अर्हता।
4. निरर्हतायें-
  - 5-1 विकृत चित्त वाला होने पर।
  - 5-2 दुश्चरित्र होने पर।
  - 5-3 शारीरिक दुर्बलता के कारण व्यक्ति अपने कर्तव्य बोध एवं दायित्व को पूरा नहीं कर सकता हो।
  - 5-4 नियुक्ति के लिये प्रयास/अनुशांसा – किसी भी उम्मीदवार की ओर से अपनी उम्मीदवारी की सहायता प्राप्त करने हेतु किसी भी जरिये से किया गया कोई भी प्रयास/अनुशांसा उसके लिये अनर्हकारी माना जायेगा।
  - 5-5 विवाह संबंधी – जिस उम्मीदवार ने न्यूनतम निर्धारित आयु (पुरुष वर्ग के लिये 21 वर्ष एवं महिला वर्ग के लिये 18 वर्ष) से पूर्व विवाह कर लिया होगा उसे इन पदों पर चयन हेतु अयोग्य माना जायेगा। कोई भी ऐसे महिला/पुरुष उम्मीदवार जिसने किसी ऐसे पुरुष/महिला से विवाह किया हो, जिसकी पहले से जीवित पत्नी/पति हो, ऐसे महिला/पुरुष नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे।
  - 5-6 कूट रचित/फर्जी दस्तावेज एवं चयन के स्तर पर जानकारी छिपाये जाने/अभिलेख फेरबदल कर प्रस्तुत करने पर।
  - 5-7 कदाचरण संबंधी – किसी भी ऐसे उम्मीदवार को नियुक्त नहीं किया जावेगा, यदि उसने शासन या स्थानीय प्राधिकारी की सेवा के कदाचरण के लिये परिणामस्वरूप पदच्युत कर दिया गया हो यदि उसे नैतिक पतन के अपराध पर दोष सिद्ध ठहराया गया हो।
  - 5-8 ऐसा उम्मीदवार जिसके विरुद्ध नैतिक पतन का आपराधिक प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है अथवा वह नैतिक पतन के आपराधिक मामले में दोष सिद्ध हुआ हो।
  - 5-9 स्वास्थ्य संबंधी – चिकित्सा महाविद्यालय के चिकित्सक जिसका पद सिविल सर्जन से कम न हो, के द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण पश्चात् शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ पाया जाए तथा वह ऐसा प्रमाण पत्र जारी करें।
5. सहायक प्राध्यापक के पद पर चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति प्रथमतः एक वर्ष की अवधि के लिये परीवीक्षा पर अनुबंध पर की जावेगी। यदि चयनित अभ्यर्थी द्वारा स्वशासी महाविद्यालय में एक वर्ष की अवधि के लिये सीनियर रेसीडेन्ट डॉक्टर के पद पर संतोषजनक कार्य किया हो तो उसे सीधे नियमित सेवा में नियुक्ति दी जा सकेगी।

6. स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय में सेवारत व्यक्ति, जो सीधी भर्ती के पद के लिये अर्हताधारी हो सीधी भर्ती के पद के विरुद्ध आवेदन देने के लिये स्वतन्त्र होगा और ऐसे आवेदन के लिये उसे नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं लेना होगा ।
7. चिकित्सा शिक्षक को उसके पद के अनुरूप कर्तव्यों का तथा समय-समय पर सौंपे गये प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन करना होगा ।
8. ऐसे चिकित्सा शिक्षक जिनकी नियुक्ति राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 1987 के तहत की हो के द्वारा उच्च पद के लिये आवेदन किया जाता है और यदि उसका चयन किया जाता है तो वह स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय में ऐसे वरिष्ठ पद पर लिया जा सकेगा ।
11. आवेदक का चयन होने पर उसे 65 वर्ष की उम्र अथवा नियुक्ति दिनांक से 03 वर्ष , जो भी पहले हो तक संबंधित स्वशासी महाविद्यालय में सेवारत देनी होगी । आवेदक को इस बाबत सम्यक रूप से स्टांपित एक बांड नियुक्ति के समय भरना होगा एवं इस शर्त के उल्लंघन पर उसे एक वर्ष के वेतन /मानदेय के बराबर की राशि महाविद्यालय को चुकानी होगी ।
12. मध्य प्रदेश शासन के स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय में कार्यरत चिकित्सक हेतु प्रतिनियुक्ति के लिये मूल नियोक्ता की सहमति अनिवार्य होगी ।
13. आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि :- स्वशासी श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा में आवेदन पत्र दिनांक 05/03/2018 सायं 05.00 बजे तक प्राप्त हो जाना चाहिये। आवेदन पत्र डाक द्वारा, ऑनलाईन अथवा व्यक्तिगत रूप से कार्यालय में जमा कराये जा सकते हैं। किसी भी स्थिति में निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।
14. चयन प्रक्रिया हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
15. उपरोक्त विज्ञापन की जानकारी एवं आवेदन पत्र का निर्धारित प्रारूप स्वशासी श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा मध्यप्रदेश की वेबसाईट [www.ssmcrewa.com](http://www.ssmcrewa.com) पर उपलब्ध है ।

**महत्वपूर्ण टीप :-** यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वे अपने आवेदित पद के लिये निर्धारित समस्त अर्हतायें और शर्तों को पूरा करते हैं। अतः आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं करे ले और अर्हता की समस्त शर्तें पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भरे। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जायेगी। आवेदक के विरुद्ध पुलिस प्रकरण अथवा किसी भी प्रकार की जांच न हो जिसके कारण आवेदक की नियुक्ति प्रभावित होती हो, इस आशय से संबंधित घोषणा पत्र जो की आवेदन के प्रारूप में दिया गया है। यह शर्त भी उसमें समाहित रहेगी।

- Sd -

मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल